

**राजस्थान विधान सभा**  
**चतुर्थ सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(क) अधिसूचनायें**

I- श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**पंचायती राज विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(19)एमेन/रूल्स/लीगल/पीआर/09/2649 दिनांक 14 सितम्बर, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)एमेन/रूल्स/इले/लीगल/पीआर/09/4127 दिनांक 21 नवम्बर, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ।

II - श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**राजस्व विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राजस्व-6/2006/22 दिनांक 3.9.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लैंड रिकॉर्ड्स) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(63)राजस्व-6/2001/25 दिनांक 13.10.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुए खोदने और पम्प सैट लगाने के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1979 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)राजस्व-6/2009/26 दिनांक 13.10.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लैंड रिकॉर्ड्स) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.9(31)राजस्व-6/2006/28 दिनांक 19.11.2009 जिसके द्वारा राजस्थान गैलेन्ट्री अवाइर्स (कैश रिवाइर्स एण्ड लैंड ग्रान्ट्स) नियम, 1966 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.10(5)राजस्व-6/2000/32 दिनांक 9.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.10(5)राजस्व-6/2000/12 दिनांक 17.4.2002 में संशोधन किया गया है ;

- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.10(5)राजस्व-6/2000/33 दिनांक 9.12.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.13(1)राजस्व-6/2000/13 दिनांक 17.4.2002 में संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.6(6)राजस्व-6/92-पार्ट/2 दिनांक 19.1.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.6(48)राजस्व-6/2001/3 दिनांक 25.1.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (राजस्व मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं एवं सेवा शर्तें) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.9(32)राजस्व-6/2009/4 दिनांक 29.1.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

**III - श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-**

#### परिवहन विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)परि/कर/मु0/08 दिनांक 27 अगस्त, 2009 जिसके द्वारा मेला अवधि तक अन्य राज्य से रामदेवरा (जैसलमेर जिला) आने-जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिये 3500/- रुपये से अधिक उन करों का परिहार किया गया है ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(64)परि/कर/मु0/08/54786 दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 जिसके द्वारा प्रयास संस्थान की मिनी बस वाहन को दिनांक 1.7.2009 से दिनांक 30.3.2012 तक सशर्त देय कर से मुक्त किया गया है ।

#### (ख) वार्षिक प्रतिवेदन

- I- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 (ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे ।
- II - श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

### 3. विधायी कार्य

#### पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

#### श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना (झुन्झुन्) विधेयक, 2010

- (I) डॉ० जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना  
(झुन्झुन्) विधेयक, 2010  
(2010 का विधेयक संख्या-8)

"राजस्थान राज्य में श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुन्) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना (झुन्झुन्) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

### 4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

डॉ. रघु शर्मा (वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

एच.आर.कुडी  
सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 23 फरवरी, 2010